

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री विरमा राम, आर.प.एस

दिनांक - 05/11/24

क्रमांक रीडर/2024/ 5999

प्रार्थीगण

1 नरसिंगाराम पुत्र नवलाराम
जाति कुम्हार निवासी
नारणोणियों की ढाणी,
भाडखा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 आसुराम 2 लुम्बाराम 3 पेगाराम 4 आसुराम 5 बालूराम उर्फ बाबुराम पिसरान
नवलाराम 6 बगताराम पुत्र ताराराम 7 अचलाराम 8 धूनाराम प्रजापत 9 फूसाराम
10 बांकीलाल पिसरान लालाराम 11 राकू देवी पत्नी लालाराम 12 धूडी पुत्री
जसोता पत्नी विरगाराम 13 राणी पुत्री जसोता पत्नी रतनाराम 14 पदमाराम 15
मदनलाल पिसरान मेहराराम 16 मेहराराम पुत्र ताराराम 17 हनुमानराम पुत्र
मेहराराम 18 खीमाराम पुत्र आदुराम 19 नेमाराम 20 मदनलाल 21 रावताराम
पिसरान खीमाराम 22 पांची पत्नी जोगाराम जातियान कुम्हार 23 डूगराराम पुत्र
नगाराम जाति सुथार 24 कमला देवी पत्नी प्रतापाराम 25 गुडिया देवी पत्नी
पेमाराम 26 गोपी देवी 27 चम्पाराम पिसरान पेमाराम 28 जोगेन्द्र 29 धर्मन्द्र
पिसरान शंकर 30 नेनु देवी पत्नी हदुराम 31 नीलम पत्नी शंकर 32 बाबूलाल 33
भंवरलाल पिसरान प्रतापाराम 34 महेन्द्र पुत्र कुम्भाराम 35 रेखा 36 रमेश पिसरान
कुम्भाराम 38 रेवन्ताराम 39 लीला देवी पिसरान पेमाराम 40 विमला पुत्री शंकर
41 श्यामलाल पुत्र प्रतापाराम 42 शेराराम पुत्र सोनाराम 43 सायर देवी पुत्री
पेमाराम 44 इन्द्राराम पुत्र रावताराम जातियान नाई 45 कुम्भाराम 46 गोधुराम 47
मूदूदाराम पिसरान रामाराम 48 नोजी पत्नी गोमदाराम 49 अनु देवी पत्नी
धूडाराम 50 धूडाराम पुत्र दलाराम नारणोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 395/2024

दिनांक-

25/10/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रागोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 837/750 रकबा 3.2375 हैक्टयर, मौजा नारणोणियों की ढाणी खसरा संख्या 137/110 रकबा 2.4200 हैक्टयर, खसरा संख्या 169/105 रकबा 3.8850 हैक्टयर व मौजा खारिया तला खसरा संख्या 749/576 रकबा 4.6943 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर

05/11/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 6000-6003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नरसिंगाराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आसुराम पुत्र नवलाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर